अध्याय

3 संसदीय सरकार (लोग व उनके प्रतिनिधि)

ज़रा सोचकर बताइये कि क्या आपके विद्यालय, गाँव, शहर या देश की शासन व्यवस्था में हम सभी भागीदार बन सकते हैं? क्या यह मुमकिन है? हाँ, यदि समूह छोटा हो, तो शायद यह संभव है कि सारे लोग उसमें बराबरी से हिस्सेदारी कर सकें और ज़रूरी निर्णय लेने व उन्हें लागू करने में बराबर की भूमिका निभाएं। लेकिन यदि बात हमारे देश की हो, या फिर गाँव की भी क्यों न हो, ऐसा संभव नहीं है।

भारतीय संविधान यह तो निश्चित करता है कि सभी लोग अपने देश की शासन प्रणाली का हिस्सा बनें – लेकिन प्रत्यक्ष रूप में नहीं, अपने प्रतिनिधियों द्वारा। हमारे देश में 18 वर्ष या उससे ऊपर के सभी नागरिकों को मत देकर अपने प्रतिनिधि को चुनने का अधिकार है। ये प्रतिनिधि अलग–अलग स्तर पर चुने जाते हैं, जैसे ग्राम पंचायत, राज्य विधान सभा और संसद।

इन प्रतिनिधियों की यह ज़िम्मेदारी होती है कि वे अपने क्षेत्र के लोगों की राय जानें, लोगों की समस्याओं को सुनें और उसे हल करने का प्रयास करें। इन प्रतिनिधियों का चुनाव पांच वर्ष तक के लिए होता है और इनकी ज़िम्मेदारी लोगों के प्रति होती है। इन वर्षों के दौरान यदि ये ठीक से काम न करें तो लोग इन्हें

सही विकल्प चुनें –

1) प्रतिनिधि का अर्थ –

(अ) – लोगों द्वारा किसी क्षेत्र से चुना गया व्यक्ति

(ब) – सरकार द्वारा किसी क्षेत्र से चुना गया व्यक्ति

(स) – उस क्षेत्र का जाना–माना व्यक्ति

2) राज्य विधानसभा के लिए चुने गये व्यक्ति को क्या कहते हैं?

(अ) – वार्ड सदस्य

(ब) – थानेदार

दूसरी बार वोट न देकर सरकार में शामिल होने से रोक सकते हैं।

लोग स्थानीय शासन की इकाइयों, जैसे ग्राम पंचायत से लेकर पूरे देश के लिए कानून बनाने वाली संसद तक, सभी में शामिल होने वाले प्रतिनिधियों का चुनाव स्वयं करते हैं। ये प्रतिनिधि लोगों की तरफ से कानून बनाने, उन्हें लागू करने और शासन के ज़रूरी निर्णय लेने का कार्य करते हैं।

संसदीय सरकार में प्रतिनिधियों का चुनाव एक निश्चित समय के लिए होता है। यह समयावधि समाप्त होने पर लोगों को अपने प्रतिनिधि चुनने का फिर से मौका मिलता है। उदाहरण के लिए – भारत में यह अवधि सामान्यतः पाँच साल की है।

पाँच साल के बाद होने वाले चुनाव में लोग पुराने प्रतिनिधियों को दोबारा वोट

1. संसदीय सरकार में आम लोगों की भागीदारी किस तरह से होती है?
2. प्रतिनिधियों को आम लोगों के साथ सीधा संपर्क रखना क्यों ज़रूरी होता है?
3. प्रतिनिधियों का चुनाव निश्चित समय के लिए ही क्यों किया जाता है?
4. क्या आम लोगों की भागीदारी प्रतिनिधियों के चुनाव तक ही सीमित होती है?
5. प्रतिनिधि चुनाव क्यों ज़रूरी है? शिक्षक के साथ चर्चा कीजिए।

न देकर, नये प्रतिनिधि भी चुन सकते हैं।

संसद का गठन

भारतीय संसद के तीन अंग हैं। **राष्ट्रपति, लोकसभा** और **राज्यसभा**। इन तीनों को मिलाकर ही संसद बनती है।

लोकसभा– भारतीय संसद के दो सदन हैः लोकसभा और राज्यसभा। संसद के निचले सदन को लोकसभा कहते हैं। नाम के अनुसार यहां बैठने वाले प्रतिनिधियों यानि लोकसभा सांसदों का चुनाव सीधे लोगों द्वारा किया जाता है। ग्राम पंचायत व राज्य विधानसभा की तरह लोकसभा के लिए भी हर पाँच साल में चुनाव करवाये जाते हैं।

लोकसभा चुनावों के लिए पूरे देश को लगभग समान जनसंख्या वाले निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है। चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवार आम तौर पर विभिन्न राजनैतिक दलों के सदस्य होते हैं। लेकिन इसमें कुछ निर्दलीय उम्मीदवार भी चुनाव लड़ सकते हैं। इस समय लोकसभा में 543 निर्वाचन क्षेत्र हैं। लोकसभा के लिए एंग्लो इंडियन समुदाय के दो सदस्य भी मनोनीत किये जाते हैं।

संसद भवन, नई दिल्ली

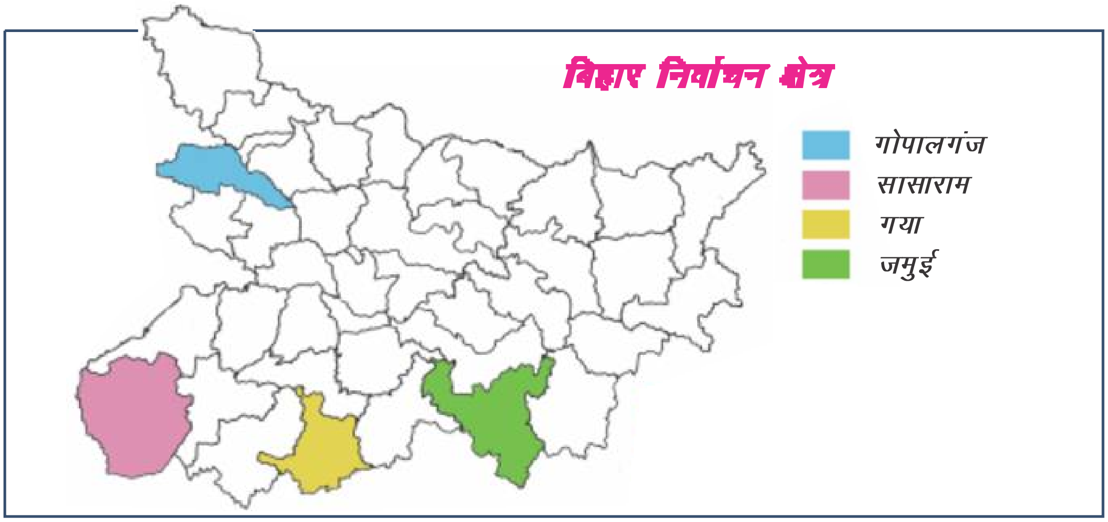

ऊपर दिये गये नक्शे के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिये।

1. बिहार के कुछ प्रमुख शहरों के चुनाव क्षेत्रों को पहचान कर उसके निर्वाचित प्रतिनिधियों के नाम बताइये।
2. आपके सांसद का क्या नाम है? वे किस निर्वाचन क्षेत्र से चुने गए हैं?
3. नक्शे को अलग–अलग रंगों से दिखाने का प्रयास क्यों किया गया है?
4. बिहार के प्रमुख राजनैतिक दलों के नाम पता कीजिए।
5. किसी भी राजनैतिक दल को आसानी से कैसे पहचाना जा सकता है?
6. राजनैतिक दलों का मुख्य काम क्या होता है?

चुने जाने के बाद उम्मीदवार संसद सदस्य या सांसद (एम.पी.) कहलाते हैं। इन सांसदों को मिलाकर लोकसभा बनती है। लोकसभा के सदस्य अपने में से एक अध्यक्ष व उपाध्यक्ष चुनते हैं।

राज्यसभा– भारतीय संसद के उच्च सदन को राज्यसभा कहते हैं। राज्यसभा मुख्य रूप से देश के राज्यों के प्रतिनिधि की तरह कार्य करती है। राज्यसभा के सदस्यों का निर्वाचन अप्रत्यक्ष रूप से होता है। राज्य सभा में 238 निर्वाचित तथा 12 मनोनीत सदस्य होते हैं। राज्य के लोग ही विधानसभा के सदस्यों को चुनते हैं। फिर विधानसभा के निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों को चुनते हैं। प्रत्येक दो साल

के बाद राज्यसभा के एक तिहाई सदस्यों का निर्वाचन किया जाता है। इस तरह राज्यसभा कभी भंग नहीं होती है। राज्यसभा के प्रत्येक सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है।

भारत के राष्ट्रपति श्री प्रणव मुखर्जी

राष्ट्रपति

संसद का तीसरा अंग राष्ट्रपति है। भारत के संविधान में राष्ट्रपति औपचारिक रूप से अपनी शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनी मंत्रिपरिषद के माध्यम

शिक्षिका की मदद से पता कीजिए कि भारत में राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार

सरकार का गठन

लोकसभा चुनावों के बाद, चुने गये संसद सदस्यों की सूची तैयार की जाती है। जिस राजनैतिक दल को बहुमत के लिए आधे से अधिक सीटें प्राप्त होती हैं, उस दल के नेता को ही राष्ट्रपति सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करते हैं। भारत में किसी भी दल को सरकार बनाने के लिये 543 में से कम से कम 272 सीटों की आवश्यकता होती है। यदि किसी एक दल को बहुमत के ज़रूरी 272 सीटें न मिल पाएँ तो एक से अधिक दल मिलकर भी सरकार बना सकते हैं। इसे गठबंधन सरकार कहते हैं।

नीचे सन् 1984 में हुए आठवीं लोकसभा चुनावों के नतीजों की तालिका दी गयी

राजनैतिक दल	निर्वाचित सांसदों की संख्या
राष्ट्रीय दल	

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)	02
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (भाकपा)	02
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (माकपा)	22
इंडियन कांग्रेस (सोसलिस्ट)	04
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	404
जनता पार्टी	10
लोक दल	03

क्षेत्रीय दल

आल इंडिया द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम	12
द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (द्रमुक)	02
ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक	02
इंडियन कांग्रेस (जे)	01
जम्मू एंड कश्मीर कॉन्फ्रेंस	03
केरल कांग्रेस (जे)	02
मुस्लिम लीग	02
पीज़ेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया	01
रेवोल्यूशनरी सोसलिस्ट पार्टी	03

1. आठवीं लोकसभा चुनावों में किस राजनैतिक दल को सबसे अधिक सीटें प्राप्त हुईं?

है। इस तालिका को पढ़कर निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिये।

आठवीं लोकसभा चुनाव के परिणाम – 1984

पिछले कुछ सालों में हुए लोकसभा चुनावों में किसी भी एक राजनैतिक दल के पास सरकार बनाने के लिए ज़रूरी बहुमत नहीं थे। इसलिए कई दलों ने साझा मुद्दों पर मिलकर गठबन्धन की सरकार बनाने की कोशिश की हैं।

राजनैतिक दल	निर्वाचित सांसदों की संख्या
राष्ट्रीय दल	
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा)	182
बहुजन समाज पार्टी (बसपा)	014
भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) (माकपा)	033
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस	114
जनता दल युनाइटेड (जदयू)	021
अन्य	005
क्षेत्रीय दल	
ऑल इंडिया अन्ना द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम	010

ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस	008
बीजू जनता दल	010
द्रविड़ मुन्नेत्र कड़गम (द्रमुक)	012
इंडियन नेशनल लोकदल	005
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी	008
पहली मक्कल कांची	005
राष्ट्रीय जनता दल	007
शिव सेना	015
समाजवादी पार्टी (सपा)	026
तेलुगू देशम पार्टी (तेदेपा)	029
अन्य	023
पंजीकृत (गैर मान्यता प्राप्त) दल	010
निर्दलीय	006
कुल योग	543

1. तेरहवीं लोकसभा चुनाव में कौन सा दल सबसे बड़े दल के रूप में उभर कर सामने आया?
2. सबसे बड़ा दल होते हुए भी वह पार्टी अकेले सरकार क्यों नहीं बना सकी?
3. जो गठबंधन सरकार बनाई गई, उस गठबंधन का क्या नाम था?
4. आपकी समझ में क्या बहुमत को सरकार बनाने का आधार रखना चाहिए? कारण सहित समझाइए।
5. क्या इस तरह के गठबंधन से बनी सरकार शक्तिशाली सरकार हो सकती है? कारण सहित समझाइये।

गठबंधन की सरकार के उदाहरण को समझने के लिए नीचे दी गयी लोकसभा चुनाव 1999 के नतीजों की तालिका को पढ़ें व निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए।

तेरहवीं लोकसभा चुनाव 1999 का परिणाम –

प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद

लोकसभा में बहुमत वाले दलों के गठबंधन के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त किया जाता है। राष्ट्रपति की सलाह से प्रधानमंत्री अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं।

प्रधानमंत्री एवं सभी मंत्रियों के लिए संसद की सदस्यता अनिवार्य है। यदि कोई व्यक्ति संसद का सदस्य बने बिना मंत्री या प्रधानमंत्री बन जाता है तो उसे छह महीने के भीतर सांसद के रूप में निर्वाचित होना पड़ता है। मंत्रिपरिषद संसद के प्रति

1. *राष्ट्रपति किस व्यक्ति को प्रधानमंत्री नियुक्त करते हैं?*
2. *क्या प्रधानमंत्री अपनी मर्ज़ी से अपने मंत्रिपरिषद में सहयोगियों को ले सकते हैं? शिक्षिका की मदद से चर्चा कीजिए।*

संसद के कार्य

संसद को प्रमुखतः निम्नांकित कार्य करने होते हैं–

1. **विधायी कामकाज –** *संसद पूरे देश या देश के किसी भाग के लिए कानून बनाती है। कानून बनाने की प्रक्रिया के बारे में आप अगले अध्याय में पढ़ेंगे।*
2. **वित्तीय कार्य–** *सरकार को बहुत से काम करने पड़ते हैं। इन सभी कार्यों के लिए धन की आवश्यकता होती है। संसद अपनी वित्तीय शक्तियों के द्वारा सरकार के कार्यों के लिए धन उपलब्ध कराने का अधिकार देती है। सरकार को अपने द्वारा*

खर्च किये गये धन का हिसाब तथा प्रस्तावित आय का विवरण संसद को देना पड़ता है।

3. सरकार को नियंत्रित करना, मार्गदर्शन और जानकारी देना – सरकार को नियंत्रित करना तथा मार्गदर्शन देना संसद का सबसे महत्वपूर्ण कार्य है। संसद में लोगों द्वारा चुने गये प्रतिनिधि लोगों की तरफ से कार्य करते हैं। इसलिए मंत्रिपरिषद संसद के प्रति उत्तरदायी होती है।

संसद कई तरीकों से मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण रखती है। उन तरीकों में प्रश्नकाल के दौरान प्रश्न पूछना, सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की आलोचना करना और अविश्वास प्रस्ताव पेश करना, प्रमुख हैं।

प्रश्नकाल में प्रश्न पूछना

यदि आप को अपने इलाके के बारे में प्रश्न पूछना होता तो आप अपने सांसद से क्या प्रश्न पूछते?

में प्रश्न पूछते हैं। कई मौकों पर ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं जो सरकार की किसी ऐसी नीति या कार्यक्रम से सम्बंधित होते हैं जो पूरे देश को प्रभावित करते हैं।

अविश्वास प्रस्ताव

इस अविश्वास प्रस्ताव वाले नियम के पीछे क्या कारण हो सकता है? आपस में चर्चा कीजिए।

अविश्वास प्रस्ताव मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण करने का एक मज़बूत तरीका है। यदि संसद को यह लगता है कि मंत्रिपरिषद सही ढंग से काम नहीं कर रही है तो संसद में अविश्वास प्रस्ताव पेश किया जा सकता है।

ऐसे प्रस्ताव की सूचना मिलने पर लोकसभा अध्यक्ष अविश्वास प्रस्ताव पर बहस के लिए एक निश्चित दिन तथा समय निर्धारित करते हैं। बहस के बाद मतदान किया जाता है। यदि अविश्वास प्रस्ताव स्वीकार हो जाए तो सरकार को त्यागपत्र देना पड़ता है।

अभ्यास के प्रश्न

1. हमारे यहाँ 18 वर्ष से अधिक उम्र के सभी लोगों को वोट देने का अधिकार है। आपकी समझ से क्या यह ठीक है?
2. लोकसभा जनभावनाओं और जनता की अपेक्षाओं की अभिव्यक्ति का मंच है। क्या आप इस वाक्य से सहमत हैं? कारण सहित समझाइये।
3. लोकतांत्रिक शासन में आम लोगों की भागीदारी किस तरह से होती है? एक उदाहरण देकर समझाइये।

जानकारी	लोकसभा
सदस्यों की कुल संख्या	
सदस्यों का कार्यकाल	
सदन का कार्यकाल	
चुनाव का तरीका	
सभापति या अध्यक्ष के चुनाव का तरीका	

Developed by: ABSOL www.absol.in